

प्रेषक,

अनिल कुमार ,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर तथा रामपुर ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 28 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैवी आपदाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के क्रम में सम्बन्धित जनपदों को निम्नानुसार ₹0 17,64,035/- (रुपये सत्रह लाख चौंसठ हजार पैंतीस मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद का नाम, पत्रांक व दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
मेरठ, पत्र संख्या-140, दिनांक 25.01.2016	3,93,591
फर्रुखाबाद, पत्र संख्या-134, दिनांक 29.01.2016	5,77,185
मुजफ्फरनगर, पत्र संख्या-778, दिनांक 29.01.2016	73,195
रामपुर, पत्र संख्या-209, दिनांक 27.11.2015	7,20,064
योग	17,64,035

- 3- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आय-जनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09-क्षमता निर्माण-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- 4- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई वचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जाये।
- 5- किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्तपुस्तिका/वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
- 6- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- 7- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अनिल कुमार)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-215(1)/1-10-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahataup.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 8- समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-29/03/2016

प्रेषण संख्या:- 68
 आवंटन आदेश संख्या:- 068-1-10-2015
 अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 80 - सामान्य
 800 - अन्य व्यय
 09 - क्षमता निर्माण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	73195 73195	73195 73195
2	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	393591 393591	393591 393591
3	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	720064 720064	720064 720064
4	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	577185 577185	577185 577185
	योग	वर्तमान प्रगामी	1764035 1764035	1764035 1764035

महायोग- (वर्तमान

आवंटन):-

रूपया सत्रह लाख चौसठ हजार पैंतीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्रह लाख चौसठ हजार पैंतीस



(शिवराम)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

राहत आयुक्त संगठन

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

उत्प्रेषण शासन